



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार – 249404

संख्या: 224 / 01 / डी0आर0(डिग्री) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक: 01 नवम्बर, 2023

### अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों में अंकित A.P.I. स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गए थे, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी, (English) विषय के निम्न अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे से संबंधित प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराने के कारण निम्न तालिका के कॉलम-3 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

1 क्रम सं0	2 ए0पी0आई सं0	3 अनुक्रमांक	4 अभ्युक्ति
1	APC603574	502511	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत संविदा प्रवक्ता / विज़िटिंग लैक्चरर व अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत <b>बोनस अंक</b> का दावा मान्य नहीं है।
2	APC610608	502623	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत एन0सी0सी0 बी प्रमाण पत्र का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
3	APC613648	502698	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में इस अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
4	APC617797	502801	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
5	APC618429	502824	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
6	APC618830	502833	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
7	APC619560	502855	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।



क्रम सं०	ए०पी०आई सं०	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
----------	-------------	------------	-----------

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक **17 नवम्बर 2023** (शुक्रवार) के सांय 06:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Sd-  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।